कार्यालय रिपोर्ट, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 16 के अन्तर्गत

संदीप एवं सुनीता

अधिवक्ता : श्री बाबूलाल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

महोदय,

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

1. विवाह के पक्षकार प्रार्थीगण संदीप एवं सुनीता ने संयुक्त रूप से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा16 के अधीन विवाह पंजीयन करने की प्रार्थना की है।
2. दिनांक 11.04.2017 को चक 4 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर में शाादी सम्पन्न होना बताया है। शादी सम्पन्न होने का प्रमाण पत्र पेश नही किया गया है।
3. प्रस्तुत शपथ पत्रो अनुसार वर एव वधू भारतीय है।
4. आयु के सम्बन्ध में वर ने जिला शिक्षा एव प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) चूनावढ की कक्षा 8 वी वर्ष 2007 की अंकतालिका की प्रति पेश की है, जिसके अनुसार वर की जन्म दिनांक 05 दिसम्बर 1993 है। वधू द्वारा आयु के सम्बन्ध में आधार कार्ड की प्रति पेश की है जिसके अनुसार वधु की जन्म दिनांक 04.08.1997 है।
5. प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार वर की आयु 24 एवं वधु की आयु 20 वर्ष है।
6. विवाह के पक्षकारो द्वारा शपथ पपत्र एवं तीन गवाहान के शपथपत्र मय आई0डी0 प्रूफ पेश किये है।
7. विवाह क्षेत्राधिकार में सम्पन्न हुआ है।
8. विवाह सम्पन्न कराने वाले पण्डित/ग्रन्थी का प्रमाण पत्र पेश नही किया है।
9. विवाह के पक्षकरों द्वारा अपने अपने शपथ पत्रों में विवाह के पश्चात बतौर पति–पत्नी एक साथ गांव 15 एल.के.एस. ढाबा झालार,तहसील सूरतगढ में निवास करना कथन किया है।
10. विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 15(च) के अनुसार पक्षकार उस विवाह अधिकारी के जिले के भीतर उस तारीख के ठीक पहले, जब विवाह के रजिस्ट्रीकरण केलिए आवेदन विवाह अधिकारी से किया गया हो, कम से कम तीस दिन की कालावधि तक निवास करते रहे हों। विवाह के पक्षकार श्रीगंगानगर जिले में निवास कर रहे है।
11. निवास के सम्बन्ध में आधार कार्ड की प्रति पेश की है।
12. विवाह के पक्षकारों द्वारा श्री बाबूलाल अधिवक्ता का वकालतनामा पेश किया है।
13. **विवाह किसी पण्डित/ग्रन्थी द्वारा सम्पन्न करवाया गया के सम्बन्ध में कोई प्रमाण पत्र पेश नही किया गया है। एवं वधू की उम्र भी 21 वर्ष से कर्म है।**

अतः विवाह पंजीयन से पूर्व पणिडत/ ग्रन्थी का प्रमाण पत्र एवं आयु 21 वर्ष होनी चाहिए के सम्बन्ध में (फलैग–ए) नियमा 16 पर अंकित है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

[signature] 18/9/17

<u>विवाह अधिकारी महोदय</u>

विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है आवेदन [illegible]

[signature] 19/9/17

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Note

Readers